न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2023/480

1. फूलचन्द
2. बंशीधर पुत्रान भूराराम, जाति जाट, निवासी ग्राम छापुडाखुर्द, भू.अ.नि. रामपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. लीलाराम पुत्र ग्यारसा, जाति अहीर,
2. जयसिंह पुत्र गिरधारी, जाति अहीर
3. कमल किशोर पुत्र गणपत, जाति अहीर, निवासीगण ग्राम छापुडाखुर्द, भू. अभि.नि. रामपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण, विविध प्रकरण संख्या 14/2022 दिनांक 19.10.2022 जिसके द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बिना सुनवाई के एवम समुचित अवसर दिये बिना स्वीकार किया गया, अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित–

1. श्री लालचन्द जाट, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –24.01.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण के निर्णय दिनांक 19.10.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 21.11.2023 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि ग्राम छापुडा खुर्द तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बरान 729 रकबा 0.61 है0 में से 0.0280 है0, ख0नं0 728 रकबा 1.67 है0 में से 0.04 है0, ख0नं0 732 रकबा 1.60 है0 में से 0.0190 है0, ख0नं0 1263/739 रकबा 0.0265 है0 सम्पूर्ण, ख0नं0 1266/741 रकबा 0.0450 है0 सम्पूर्ण ख0नं0 746 रकबा 0.64 है0 में से 0.0359 है0, ख0नं0 783/1 रकबा 0.03 है0 सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 783/2 रकबा 0.03 है0 सम्पूर्ण में से तहसीलदार शाहपुरा ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर को रास्ता प्रस्ताव भेजा जिस बाबत् उपखण्ड अधिकारी जिला शाहपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 19.10.2022 को उक्त खसरा नम्बर में से रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये।

3. उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 19.10.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट फूलचन्द पुत्र भूराराम वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर निर्णय दिनांक 19.10.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्टस के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 783/1 रकबा 0.03 हैक्टयर बारानी, खसरा नम्बर 783/2 रकबा 0.03 हैक्टयर बारानी वाके ग्राम छापुडाखुर्द, भू.अ.नि. रामपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित भूमि पर से नियम विरूद्ध एवमं विधिक प्रावधानों के विपरित नया रास्ता कायम करवाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा द्वारा गलत तथ्यों एवं राजस्व रिकार्ड के विपरित योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रभावित पक्षकारों को सुने ही बाला बाला अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत राजस्व रिकार्ड एवं गलत नक्शा बनाकर प्रस्तुत किया गया, और उसके साथ कोई भी पुराना नक्शा आदि प्रस्तुत नहीं किया गया, इसके बावजूद अपूर्ण राजस्व रिकार्ड के आधार पर बिना पत्रावली देखे एवं प्रकरण का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्टस के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर जहां पर यह नया रास्ता कायम किया गया है वहां पर अपीलान्ट के मकानात आदि बने हुए हैं जिससे स्प ठ है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों पर कुछ लोगों को नाजायज लाभ दने की नियत से तहसीलदार ने गलत रिपोर्ट तैयार कर गलत तथ्यों पर एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे योग्य अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय ने आखें बन्द करके स्वीकार कर लिया। ऐसा निर्णय जिसमें प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई का समुचित मौका तक नहीं दिया गया, वह कानून की नजर में गलत एवं विधि विरूद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 783/1 व 782/2 में से होते हुए चालू रास्ता नक्शे में दर्शाया गया है। इसके विपरीत उक्त भूमि पर कोई रास्ता नहीं रहा है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भूमि किस्म बारानी दर्ज है और योग्य अधिनस्थ तहसीलदार ने नया रास्ता कायम करने हेतु गलत रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की गई, जिसे योग्य अधिनस्थ न्यायालय में आवश्यक पक्षकारों को अर्थात भूमि के खातेदारों को सुनवाई का मौका दिये बगैर ही गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.10.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि तहसील शाहपुरा के पटवार मण्डी छापडाखुर्द के ग्राम छापडा खुर्द के खसरा नम्बर 729, 728, 1263/739, 1266/741, 746, 783/1, 783/2 का मौका सरपंच ग्राम पंचायत/वार्ड पंच एवं खातेदारान की उपस्थिति में देखा गया। मौके पर उक्त खसरा नम्बरान में ग्रेवल सडक बनी हुई है, जो निजी खातेदारी में से चालू है। उकत रास्ता सार्वजनिक आम रास्ता के रूप में उपयोग में आ रहा

संभागीय आयुक्त जयपुर

है, मौके पर चालू सडक/रास्ता से मिलान किया गया। मौके की जाँच पश्चात् एवं पटवारी हल्का व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश व पत्रादि के अवलोकन से जाहिर होता है कि उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश 20.10.2016 में पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 20.10.2016 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 21.11.23 को अपील लगभग 1 वर्ष 1 माह बाद प्रस्तुत की गयी है। अपीलान्ट का यह कथन है कि एकतरफा आदेश पारित करवाया था, जिससे अपीलान्ट को योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी नही हो पाई। सर्वप्रथम उक्त निर्णय की जानकारी तब हुई जब रेस्पोडेन्टस द्वारा दिनांक 08.11.2023 को अपीलान्टस को कहा कि तुम्हारी सम्पूर्ण भूमि खसरा नम्बर 783/1 व 783/2 को रास्ते में दर्ज करवा दी है, तब अपीलान्ट को प्रकरण की जानकारी करते हुये अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर बिना देरी की अपील प्रस्तुत कर दी। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र दफा 5 के सम्बन्ध में अपील देरी से पेश करने का कारण सन्तोषपद्र प्रतीत नहीं होता है कि उसे उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.10.2022 की जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में 1 वर्ष 1 माह के विलम्ब का ठोस कारण सन्तोषपद्र नहीं दिया गया है। जिसके कारण अपील करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जा सके। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.10.2022 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर